न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हॅसमख कुमार आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र सं. 49 / 2019

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थी
रसाल कंवर पत्नि जयसिंह जी जाति राजपूत आयु 52 वर्ष पेशा खेती निवासी खाम्बल तहसील व जिला सिरोही		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही

न्यायालय लैण्ड रिकार्ड आफिसर सिरोही (राज०) सत्यमेव जयते

उपस्थित :–
1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री प्रकाशकुमार प्रजापत
2– अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ना.तह.सिरोही

रा.प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने बाबत् ।

निर्णय दिनांक23–12–2020

प्रार्थीया ने यह प्रार्थनापत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने बाबत दिनांक 2–8–2019 को पेश किया जिसका संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया है कि ग्राम मौजा खाम्बल पटवार हल्का खाम्बल तहसील व जिला सिरोही मे निम्न वर्णित कृषि आराजी स्थित है :–

भाग–क

खाता संख्या नया	खसरा संख्या नया	किस्म	क्षैत्रफल (हैक्टेयर)
449	179	बारानी 2	1.2200

कुल खसरा 1 कुल क्षैत्रफल 1.2200 हेक्टेयर

भाग–ख

खाता संख्या नया	खसरा संख्या नया	किस्म	क्षैत्रफल (हैक्टेयर)
45	1097	बारानी I	0.7200
	891	चाही 2	1.9300
	892	बारानी I	2.4900
	893	बंजर	0.9300
	894	चाही 2	0.7000
	895	चाही 2	1.4200
	896	गै.मु.चाह	0.1600
	897	चाही 2	1.8200
	898	बंजर	0.4200

कुल खसरा 9 कुल क्षैत्रफल 10.5900 हैक्टेयर

उक्त वर्णित कृषि आराजी भाग–क नये खाता संख्या 449 के खसरा नंबर 179 एवं भाग–ख नया खाता संख्या 45 के खसरा नंबर 1097 ,891 से लगायत 898 तक कुल खसरा 9 कुल क्षैत्रफल 10.5900 हेक्टेयर मे प्रार्थीया के कब्जा काश्त संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थीया काश्त कर अपना गुजारा चलाती है। वर्णित भाग–क के खाता संख्या 449 की कृषि आराजी की वर्तमान जमाबंदी राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थीया (काश्तकार) के नाम के कॉलम मे प्रार्थीया का नाम "स्यालकुंवर बेवा जयसिंह " एवं भाग–ख के खाता संख्या 45 की कृषि आराजी मे "स्यालकुंवर पत्नि जयसिंह " अंकित है जबकि प्रार्थीया का सही ,वास्तविक व सम्मानजनक नाम "रसाल कंवर पत्नि स्व. जयसिंहजी राजपूत निवासी खाम्बल तहसील व जिला सिरोही है। उक्त वर्णित भाग–क के खाता संख्या 449 एवं भाग–ख के खाता संख्या 45 की कृषि आराजी के वर्तमान जमाबंदी राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थीया (काश्तकार) का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड संधारण के समय टंकण त्रूटि (सहवन) से "स्यालकुंवर बेवा जयसिंह " गलत अंकित हो गया है जबकि प्रार्थीया का सही वास्तविक व सम्मानजनक नाम "रसाल कंवर पत्नि [illegible]जी राजपूत " निवासी खाम्बल तहसील व जिला सिरोही वर्तमान जमाबंदी राजस्व रेकर्ड मे अंकि[illegible] था । प्रार्थीया के आधार कार्ड ,पहचानपत्र ,राशनकार्ड ,परिवार के भामाशाह का[illegible] प्रार्थीया के नाम [illegible] खाम्बल पटवार हल्का खाम्बल तहसील व जिला सिरोही मे स्थित नये खाता [illegible] जमाबदी [illegible]स्तावेजों मे भी प्रार्थीया का सही नाम "रसाल क[illegible]पुत " ही अंकित है इस [illegible] कारण से वर्णित भाग–क तथा भाग–ख की कृषि आराजी की जमाबंदीयॉ मे प्रार्थीया का सह[illegible] गलत नाम "स्यालकुंवर बेवा जयसिंह" एवं स्यालकुंवर पत्नि जयसिंह" त्रूटिवश अंकित हो जाने से प्रार्थीया के सही वास्तविकव सम्मानजनक नाम "रसाल कंवर पत्नि स्व. जयसिंहजी राजपुत "का शुद्विकरण किया जाने हेतु प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे प्रार्थीया के नाम का संशोधन करवाना फरमावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:58:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात प्रतियों मे मौजा खाम्बल पटवार हल्का खाम्बल तहसील सिरोही की जमाबंदी संवत 2070–2073 खाता संख्या नया 449 खसरा नंबर 179 रकबा 1.2200 हेक्टेयर जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता नंबर 45 खसरा नंबर 1097 ,891 से 898 कुल खसरे 9 कुल रकबा 10.5900 हेक्टेयर उक्त खसरा आराजी मे प्रार्थीया के म्यूटेशन की नकल ,मिलान क्षैत्रफल की प्रति ,प्रार्थीया के राशनकार्ड व भामाशाह कार्ड व आधार कार्ड प्रतियों का अवलोकन करने पर प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टयॉ सहमत होने से न्यायालय मे दिनांक 2–8–2019 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया । विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 2–9–2019 को अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को नोटिस तामिल होकर प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया ।

विचाराधीन प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 1–12–2020 को अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से जवाब पेश करने हेतु पैरोकार सरकार को न्यायहित मे पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी आज दिन तक सीपीसी के प्रावधानो के तहत 90 दिन की समयावधि गुजर जाने के बावजूद भी जवाब पेश नही करने से स्टेट तहसीलदार सिरोही का जवाब न्यायालय द्वारा बंद किया गया ।

हमने प्रार्थी के प्रार्थनापत्र व संलग्न उक्त वर्णित राजस्व रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया। प्रकरण के समग्र विवेचन के उपरान्त यह पाया कि पत्रावली के संलग्न जमाबंदी संवत 2073 खाता नंबर 289 के खसरा नंबर 361 से 367 तक की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी मे प्रार्थीया का नाम रसालकंवर पत्नि जयसिंह ,नामान्तकरण संख्या 489 मे जयसिह फौत होने के बाद प्रार्थीया का नाम रसाल कंवर पत्नि जयसिंह जमाबंदी संवत 2050 से 2053 के खाता संख्या पुराना 31 की संयुक्त खातेदारी आराजी मे भी प्रार्थीया का नाम रसाल कंवर बेवा जयसिंह 1/2 राजपूत सा.देह के रूप मे प्रार्थीया का सही नाम दर्ज है तथा प्रार्थीया के आधार कार्ड नंबर 7239 7054 8887 मे भी प्रार्थीया का सही नाम रसाल कंवर पत्नि जयसिंह राजपुत दर्ज है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रेकर्ड के संधारन के वक्त गलती से जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 449 प्रार्थीया का गलत नाम स्यालकुंवर बेवा जयसिंह राजपुत तथा जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 45 मे भी प्रार्थीया का गलत नाम स्यालकुंवर पत्नि जयसिंह हिस्सा 1/4 दर्ज कर दिया है। प्रार्थीया के नाम की त्रुटि लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा मे आने से न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थीया को सरकारी योजननाओं का लाभ से वंचित होने के साथ साथ आर्थिक नुकसान व मानसिक तनाव मे आने की संभावना है।

अतः उपरोक्त आधार पर प्रार्थीया का यह प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही बाबत राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का न्यायहित मे स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भूमिधारी सिरोही को आदेश दिया जाता है कि मौजा खाम्बल पटवार हल्का खाम्बल के वर्णित भाग–क के खाता संख्या नया 449 खसरा नंबर नया 179 किस्म बारानी 2 क्षेत्रफल 1.2200 हैक्टेयर तथा वर्णित भाग–ख के खाता संख्या नया 45 के खसरा नंबर नया 1097 ,891 से 898 कुल खसरा 9 कुल क्षैत्रफल 10.5900 हैक्टेयर की कृषि आराजी की जमाबदीयॉ मे प्रार्थीया का सहवन से गलत नाम "स्यालकुंवर बेवा जयसिंह" एवं स्यालकुंवर पत्नि जयसिंह" त्रूटिवश अंकित हो जाने से प्रार्थीया के सही वास्तविकव सम्मानजनक नाम "रसाल कंवर पत्नि स्व. जयसिंहजी राजपुत "का शुद्विकरण दर्ज/संशोधन कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिर्पोट इस न्यायालय मे शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(हॅसमुख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:58:34 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे हस्ताक्षर ,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही